20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक निगरानी- 3059/2018/छतरपुर/भू.रा. /2018 जिला–छतरपुर

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा आज दि० 17.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बाबूलाल काछी पुत्र स्व. तातू काछी (कुशवाह)
निवासी– ग्राम बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

मुकेश जैन पुत्र श्री नाथू राम जैन
निवासी– ग्राम बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बकस्वाहा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ–12/2017–18 में पारित आदेश एवं पंचनामा दिनांक 03.04.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक :–निगरानी–3059 / 2018 / छतरपुर / भू.रा.

बाबूलाल काछी विरूद्ध मुकेश जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बकस्वाहा, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 20 / अ–12 / 2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03–04–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	